अभियुक्त द्वारा ही अपराध कारित करने की कोई धारणा बनाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस अपीलीय न्यायालय का मानना है कि धारा 384 दं०प्र०सं० के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, जिसके कारण यह अपील सरसरी तौर पर अंगीकरण के स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

23. तद्नुसार, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील अंगीकरण के स्तर पर ही अविलंब **निरस्त** की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक **13.03.2024 की पुष्टि** की जाती है।

24. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेज दिया जाय तथा इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालन हेतु तुरंत भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(2024) 9 ILRA 1587
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 13.09.2024

BEFORE

THE HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

Matter Under Article 227 No. 4400 of 2024

Tejpal Singh ...Petitioner

Versus

U.O.I. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Alok Saxena Khan

Counsel for the Respondents:
A.S.G.I., Arvind Kumar, Brajendra Amiy

Civil Law-The Constitution of India,195 0- Article 227 - The Limitation Act,1963 - Section 5 - The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 - Section 17 - Petition for expeditious disposal of Securitisation Application- Securitisation application was filed with a delay of about 939 days while the limitation period prescribed under Section 17 is 45 days---When this Court from a perusal of the record available before it, finds that the DRT has passed orders in violation of well-settled principles of law, the Court, under the power of superintendence conferred by Article 227 of the Constitution of India, not only has the power to set aside those orders but it is also the responsibility of this Court to set aside the orders passed illegally---A persual of Debt Recovery Tribunal's order sheet duly establishes that while condoning the delay of 939 in presenting the petition on 20/08/2024, on the same day opportunity to file objection against the petition against the securitisation application was closed. Before the application under Section 5 of the Limitation Act was accepted, the securitisation application itself was not admitted and therefore in such circumstances accepting the amendment in that application and closing the opportunity to present objection against the application is an action contrary to well-established judicial principles.---Petition is disposed of with the direction that the learned Debt Recovery Tribunal will ensure to take further action after passing an order on the application for review of the order dated 20.08.2024, after giving adequate opportunity of being heard to the parties in accordance with law. **(Para 20, 24 & 32)** (E-15)

List of Cases cited:

Shalini Shyam Shetty & anr. Vs Rajendra Shankar Patil (2010) 8 SCC 329

(Delivered by Hon'ble Subhash Vidyarthi, J.)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सक्सेना, विपक्षी संख्या 1 भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार, विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ को प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र (Securitisation Application) प्रार्थना-पत्र संख्या 617 सन 2022 को नियत तिथि दिनांक 17.09.2024 अथवा इस न्यायालय द्वारा नियत की गयी समयावधि में निर्णीत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

3. उपरोक्त प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र (1)- मे. आर.के. प्रोबिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, (2)- रविन्द्र, (3)- बिजेन्द्र यादव, (4)- तेजपाल सिंह तथा (5)- देवेन्द्र यादव ने विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के विरुद्ध दिनांक 29.08.2022 को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किया था। याचिका के साथ मात्र प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र की प्रति संलग्न की गयी तथा धारा 5, परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति संलग्न नहीं की गयी है। याचिका में यह कथन भी नहीं किया गया है कि प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र विलंब के साथ प्रस्तुत किया गया था तथा इसके साथ विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

4. प्रार्थना-पत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये बिना प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र अंगीकृत नहीं हो सकता, किन्तु विलंब क्षमा करने के पूर्व ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र के संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.04.2023 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश में यह अंकित है कि विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने यह आपत्ति की कि प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र परिसीमा अवधि से बाधित था तथा परिसीमा का प्रश्न पहले निर्णीत किया जाना चाहिए इसके उपरान्त भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता का संशोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया तथा विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक को प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र विलंब क्षमा करने हेतु प्रार्थना-पत्र, दोनों के ही विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिनांक 18.05.2023 को ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह अंकित है कि याचिकाकर्ता ने कथन किया कि विवादित संपत्ति का भौतिक अध्यासन उनके पास है तथा उक्त आदेश दिनांक 18.05.2023 द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे दिया।

5. दिनांक 24.07.2024 को विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के विद्वान ने पुनः यह अनुरोध किया कि प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र परिसीमा अवधि से बाधित है और यह प्रश्न पहले निर्णीत किया जाना चाहिए। इस पर न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश को प्रभावी रखते हुए नीलामी में संपत्ति क्रय करने वाले व्यक्ति को पक्षकार बनाने के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु दिनांक 31.07.2024 की तिथि नियत कर दी।

6. दिनांक 20.08.2024 के आदेश से ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश में न्यायाधिकरण ने यह भी अंकित किया कि विपक्षीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए दिया गया अवसर समाप्त किया जाता है। नीलामी खरीददार को पक्षकार बनाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र भी इसी आदेश से स्वीकार किया गया।

7. दिनांक 27.08.2024 को विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 30.08.2024 के आदेश में यह अंकित है कि नीलामी खरीददार को प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र की प्रति उसी दिन उपलब्ध करायी गयी। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने अगली तिथि दिनांक 06.09.2024 को प्रकरण में अंतिम बहस सुनने के लिए नियत कर दी।

8. दिनांक 06.09.2024 के आदेश में अंकित है कि विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कथन किया कि इस प्रकरण में कोई विशेष शीघ्रता सम्मिलित नहीं है, तब भी बहुत छोटे अंतराल पर तिथियाँ अंकित की जा रही हैं। इस पर न्यायाधिकरण ने दिनांक 17.09.2024 की तिथि अंतिम बहस के लिए नियत कर दी।

9. यचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता एक 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जिसको उसके घर से बाहर कर दिया गया है तथा घर को नीलाम कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता वर्ष 2023 से बिना किसी निवास के अपना गुजर-बसर कर रहा है और इस कारण से यह याचिका स्वीकार करते हुए ऋण वसूली न्यायाधिकरण को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह नियत तिथि दिनांक 17.09.2024 को प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण कर दें।

10. इसके विरुद्ध आपत्ति करते हुए विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से स्पष्ट होता है कि न्यायाधिकरण इस प्रकरण में अनुचित शीघ्रता से कार्यवाही कर रहा है, जैसा कि अन्य प्रकरणों में सामान्यतः नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऋण वसूली न्यायाधिकरण को प्रकरण का और शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

11. विपक्षी संख्या 3 पंजाब नेशनल बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उन्होंने विलंब क्षमा करने के आदेश दिनांक 20.08.2024 के पुनरावलोकन के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है तथा उक्त प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के बिना प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र का अंतिम निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवोलकन किया।

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत यह याचिका ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित वाद के शीघ्र निस्तारण के संबंध में है तथा उस वाद के सभी पक्षकार इस याचिका में आवश्यक पक्षकार हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष प्रार्थी संख्या 1, 2, 3 तथा 5 इस याचिका में न तो प्रार्थी बनाये गये हैं और न ही विपक्षी तथा इस कारण से इस याचिका में आवश्यक पक्षों के कुसंयोजन का दोष है।

14. प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र लगभग 939 दिन के विलंब से प्रस्तुत किया गया था, जो तथ्य इस याचिका में कहीं अभिकथित नहीं किया गया है। अतः याचिका में संगत तथ्यों के विलोपित किये जाने का भी दोष है।

15. ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.08.2024 को याचिका प्रस्तुत करने में हुए 939 दिन के विलंब को क्षमा करने के साथ ही उसी दिन याचिका के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति देने का अवसर समाप्त कर दिया गया। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने के पूर्व प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र अंगीकृत ही नहीं हुआ था और ऐसी परिस्थिति में उस प्रार्थना-पत्र में संशोधन स्वीकार करना तथा प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर देना सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत की गयी कार्यवाही है।

16. धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से पक्षकार यह नहीं मान सकते कि वह प्रार्थना-पत्र निश्चय की स्वीकार किया जायेगा। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने की स्थिति में प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के पूर्व प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं था। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने के साथ ही प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति का अवसर समाप्त कर देना सुस्थापित न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किया हुआ आदेश प्रतीत होता है तथा यह आदेश विधि में संधार्य नहीं है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर तर्क दिया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश 20.08.2024 की वैधता को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गयी है और इस कारण से उक्त आदेश के संदर्भ में इस न्यायालय को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

18. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के प्राविधान निम्नवत् हैं-

"227. सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति:-

(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके सम्बन्ध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा।

(2) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय-

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकेगा;

(ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम बना सकेगा और जारी कर सकेगा तथा प्ररूप विहित कर सकेगा; और

(ग) किन्ही ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप विहित कर सकेगा।

(3) उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि-व्यवसाय करने वाले अटार्नियों, अधिवक्ताओं और वकीलों को मिल सकेगी;

परन्तु खण्ड (2) या खण्ड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, बिहित किए गए कोई प्ररूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध में असंगत नहीं होगी और इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से सम्बन्धित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं समझी जाएगी।

19. **शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेन्द्र शंकर पाटिल** (2010) 8 SCC 329 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्तियों की व्याख्या करते हुए यह कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय उपरोक्त प्राविधान में प्रदत्त अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार की सीमा में आबद्ध रखने के उद्देश्य से कर सकते हैं। इस शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि न्यायालय तथा न्यायाधिकरण उनमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें एवं ऐसा करने से अस्वीकार न करें तथा न्यायालय तथा न्यायाधिकरण विधि का अनुपालन करें। उपरोक्त के अतिरिक्त उच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग उस परिस्थिति में भी कर सकता है जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ हो अथवा न्याय की विफलता होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति संविधान की मूलभूत संरचना का अंश है तथा इसको किसी अन्य विधि द्वारा अथवा संवैधानिक संशोधन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। यह शक्ति विवेकाधीन है तथा समुचित प्रकरणों में इसका प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा स्वयंमेव भी किया जा सकता है। यह शक्ति व्यापक एवं बंधनविहीन है तथा इसका उद्देश्य उच्च न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक तथा न्यायिक नियंत्रण बनाये रखना है, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था सुगमतापूर्वक तथा सम्यक रुप से कार्य करती रहे और इसका अपयश न हो। इसका उद्देश्य यह है कि न्याय के पहिये की गति रुक न जाय तथा न्याय की धारा निर्मल तथा अप्रदूषित रहे, जिससे न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की कार्य प्रणाली पर जनता का विश्वास बना रहे।

20. जब यह न्यायालय अपने सम्मुख उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह पाती है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के उल्लंघन में आदेश पारित किये हैं तो न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति में उन आदेशों को अपास्त करने का न सिर्फ अधिकार रखता है अपितु यह इस न्यायालय का उत्तरदायित्व भी है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा अवैधानिक रूप से पारित आदेशों को निरस्त करे।

21. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र 939 दिन के विलंब से प्रस्तुत किया था, जबकि धारा 17 में 45 दिन की परिसीमा अवधि निर्धारित है।

22. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3क में यह प्राविधान है कि जहाँ कोई अपील परिसीमा अवधि समाप्त होने के उपरान्त विलंब क्षमा करने हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है, जब तक अपील सुनवाई हेतु अंगीकृत न हो जाय, न्यायालय कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगा। यद्यपि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्राविधान ऋण वसूली अधिकरण पर लागू नहीं होते हैं किन्तु व्यवहार प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित प्रक्रियात्मक सिद्धान्त सभी न्यायालयों के न्यायाधिकरणों, जिसमें ऋण वसूली अधिकरण सम्मिलित है, पर लागू होते हैं।

23. विलंब क्षमा होने के पूर्व प्रार्थना-पत्र अंगीकृत नहीं हुआ तथा प्रार्थना-पत्र अंगीकरण के पूर्व अंतरिम आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था। इसके बाद भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने परिसीमा से बाधित प्रार्थना-पत्र पर विलंब क्षमा करने के पूर्व ही दिनांक 18.05.2023 को याचिकाकर्ता के पक्ष

में अंतरिम आदेश पारित करते हुए पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दे दिया, जो न्यायोचित नहीं था। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का घर नीलाम करके उसको घर से बाहर कर दिया गया है तथा वह वर्ष 2023 से बेघर होकर रह रहा है, जबकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 18.05.2023 में अंकित है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि संपत्ति का भौतिक अध्यासन याचिकाकर्ता के पास है और उसी दिनांक को ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का अंतरिम आदेश पारित कर दिया। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया कथन, याचिकाकर्ता विवादित संपत्ति के अध्यासन में नहीं है, से यह प्रतीत होता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 18.05.2023 को उनके द्वारा किया गया कथन, कि याचिकाकर्ता संपत्ति के भौतिक अध्यासन में है, सत्य नहीं है और ऐसी तथ्यात्मक परिस्थिति में याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

24. ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.08.2024 को याचिका प्रस्तुत करने में हुए 939 दिन के विलंब को क्षमा करने के साथ ही उसी दिन याचिका के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति देने का अवसर समाप्त कर दिया गया। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने के पूर्व प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र अंगीकृत ही नहीं हुआ था और ऐसी परिस्थिति में उस प्रार्थना-पत्र में संशोधन स्वीकार करना तथा प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर देना सुस्थापित न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत की गयी कार्यवाही है।

25. धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से पक्षकार यह नहीं मान सकते कि वह प्रार्थना-पत्र निश्चय की स्वीकार किया जायेगा। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने की स्थिति में प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के पूर्व प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं था। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने के साथ ही प्रतिभूतिकरण प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति का अवसर समाप्त कर देना सुस्थापित न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किया हुआ आदेश प्रतीत होता है तथा यह आदेश विधि में संधार्य नहीं है।

26. ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 20.08.2024 द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में हुए 939 दिन के विलंब को क्षमा किया तथा तभी प्रार्थना-पत्र अंगीकृत हुआ माना जायेगा और इसके उपरान्त विपक्षीगण को प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए किन्तु ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिनांक 20.08.2024 को ही विपक्षीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया, जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के उल्लंघन में पारित किया गया है तथा इससे न्याय के मूलभूत उद्देश्यों की क्षति होती है। इस कारण से विपक्षीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त करने का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

27. जब कि अभी तक विपक्षीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला है, प्रकरण को अंतिम बहस के लिए नियत करना भी वैधानिक रूप से उचित नहीं है तथा यह आदेश भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के उल्लंघन में पारित किया गया है।

28. जबकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनके अवलोकन से न्यायिक सिद्धान्त का उल्लंघन होना सुस्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यह न्यायालय उपरोक्त टिप्पणी करने के लिए न सिर्फ अधिकृत है अपितु बाध्य भी है।

29. उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों से यह प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में ऋण वसूली न्यायाधिकरण बिना विपक्षीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अवैधानिक रूप से कार्यवाही कर रहा है तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया के सुस्थापित सिद्धान्तों के उल्लंघन में विपक्षीगणों के हितों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, जो एक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी से वांछित आचरण के विपरीत है।

30. अतः दिनांक 20.08.2024 का आदेश इस सीमा तक निरस्त किया जाता है, जिसके द्वारा विपक्षीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया तथा प्रकरण को अंतिम सुनवाई हेतु नियत कर दिया गया।

31. जहाँ तक आदेश दिनांक 20.08.2024 द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में एक पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा

चुका है, जिस पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि उपरान्त आदेश पारित करेगा। पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने की स्थिति में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी। पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र निरस्त होने की स्थिति में पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देत हुए अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार करना सुनिश्चित किया जायेगा।

32. अतः यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि विद्वान ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदेश दिनांक 20.08.2024 के पुनरावलोकन के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विधिनुसार, पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश पारित करने के उपरान्त आगे की कार्यावाही करना सुनिश्चित करेंगे।

33. यह न्यायालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा करती है कि इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही में अपने द्वारा पूर्व में सुस्थापित न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध अपनायी गयी कार्यशैली को दोहराएंगे नहीं तथा न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता तथा पवित्रता को बनाये रखते हुए न्यायपूर्ण ढंग से विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।